न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (R.A.S.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 96/2011

उनवान

1. भंवरी पत्नी गोदू (तर्क)
2. पूरण पुत्र गोदू,
3. रामी,
4. पूसी
5. मंगली पुत्रियाँ गोदू जाति–गुर्जर नि0 ग्राम मण्डियानी नसीराबाद

–– वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. हमीरा मु0 हीरा,
2. छोटी पत्नी सुगनचन्द
3. अमरचन्द,
4. राजू पि0 रामचन्द्र
5. भंवरी पत्नी काना
6. धमेन्द्र पुत्र काना
7. नौसर पुत्री काना जाति– गुर्जर नि0 मंडियानी नसीराबाद,
8. राज.सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

–– प्रतिवादीगण :– 1 से 7 जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

9. केसर पत्नी सायर,
10. पूसा,
11. बीरमा पि0 सायर,
12. प्रताप,
13. रामधन,
14. छगना पि0 नारायण जाति– गुर्जर नि0 मंडियानी नसीराबाद

–– प्रफोर्मा प्रतिवादीगण :–

9 से 14 अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 अ राज. काश्त. अधि. 1955

–: निर्णय :– दिनांक :– 26.3.21

वादीगण ने जरियें अधिवक्ता उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मण्डियानी में वादीगण व प्रतिवादीगण की सहखातेदारी, सहकाश्तकारी की पुश्तैनी आराजी स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

चौसाला ख0न0	रकबा	चौसाला ख0न0	रकबा	चौसाला ख0न0	रकबा
841	54–01–00 में से 8–12–0	1359	8–1	1239	1.39
545	1–15–0	1023	1–15–0	1048	0.29
842/1	0–2–0	1363	0–1–0	1045	
842/2	13–17–0 में से 3–0–0कुऐके पास	1364	1–13–0	1243	
		1365	1–8–0		

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:56:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(अजमेर)

[illegible] आराजी वादीगण के दादा की पुश्तैनी खातेदारी की है पारिवारिक बंटवारे के अनुसार उक्त आराजी [illegible] के पिता को प्राप्त हुयी है। जिस पर वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। आराजी मुतनाजा [illegible]ला जमाबंदी में शोराम पुत्र चौथू के नाम सम्वत् 2019–22 में नाम दर्ज थी। किन्तु वंर्किग जमाबंदी व [illegible] जमाबंदी में उक्त आराजी गैर कानूनी तरीके से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गयी जिस कारण [illegible]तिवादीगण उक्त आराजी पर दखलदांजी कर रहे है व अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि चौसाला जमाबंदी व हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज है। वंर्किग जमाबंदी में उक्त आराजी के मूल खातेदार हमीरा मुतबन्ना हीरा, रामचन्द्र, काना पि0 हजारी थे। हीरा फौत होने से नामान्तकरण संख्या 20 दिनांक 09.10.77 को आराजी मुतनाजा हमीरा पुत्र हीरा के नाम दर्ज हुयी। तथा छीतर पुत्र सालू के बजाय रामचन्द्र, काना पुत्र हजारी के नाम दर्ज हुयी। वंर्किग जमाबंदी के अनुसार हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा मूल खातेदार तत्पश्चात प्रतिवादीगण/वारिसों के नाम सही रूप से दर्ज की गयी। आराजी मुतनाजा चौसाला जमाबंदी में शोराम पुत्र चौथू के नाम सम्वत् 2019–22 में नाम दर्ज होने कथन मिथ्या है। आराजी मुतनाजा पर वर्षो से प्रतिवादीगण का कब्जा चला आ रहा है। अतः वाद सव्यय खारिज किया जावे।

प्रकरण में वाद पत्र व जवाब दावे के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादग्रस्त आराजी का वर्तमान अंकन त्रुटिपूर्ण होने से वादी खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है ?

— वादी

2. आया प्रतिवादी रेकार्डेड खातेदार होने से वाद खारिज योग्य है ?

— प्रतिवादी

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने पूरण के बयान दर्ज कराये व दस्तावेज पेश किये। अधिवक्ता प्रतिवादी ने प्रकरण में कोई साक्ष्य पेश नही करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

<u>तनकी संख्या 1 व 2</u> :–

आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज है। वंर्किग खसरा नम्बर 1359, 1022, 1366, 1364 व 1365 हमीरा पुत्र हीरा के नाम दर्ज हुयी तथा छीतर पुत्र सालू के बजाय रामचन्द्र, काना पुत्र हजारी के नाम दर्ज हुयी। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादीगण ने अपने वाद में जिन वंर्किग खसरा नम्बर का अंकन किया है वह वादीगण/पूर्वज के नाम वंर्किग जमाबंदी में दर्ज नही थे। वादीगण का कथन है कि आराजी मुतनाजा चौसाला जमाबंदी में उनके पूर्वज शौराम पुत्र चौथू के नाम दर्ज थी। किन्तु चौसाला जमाबंदी सम्वतृ 2019 से 2022 में चौसाला खसरा नम्बर 545 रकबा 1–15–0 व 841/3 रकबा 9–5–0 की आराजी ही शोराम पुत्र चौथू के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 841 का कुल रकबा 54–1–0 है जिसके समस्त वंर्किग व हाल खसरा नम्बर की स्थिति वादीगण ने अपने वाद में स्पष्ट नही की है। वादीगण ने अपने वाद में हाल खरा नम्बर 1045 व 1243 के कितने रकबे का अनुतोष चाहा है यह भी नही दर्शाया है। चौसाला खसरा नम्बर 842/2 रकबा 13–17–0 में से 3–0–0 कुऐ के पास का अंकन वाद के पैरा संख्या 1 में अंकित है। किन्तु कौन सा हाल खसरा नम्बर कुऐ के पास अस्थित है यह वाद में स्पष्ट नही किया है। वादीगण का यह भी कथन है कि आराजी मुतनाजा पारिवारिक बंटवारे में उनके पिता को प्राप्त हुयी है। किन्तु उक्त इकरारनामा जिसे वादीगण पारिवारिक बंटवारा कहते है अपंजीकृत है, समस्त पक्षकारान के हस्ताक्षर नही है व समस्त वादगर- तखसरा नम्बर भी उक्त इकरारनामें में अंकित नही है। साथ ही कृषि भूमि का विभाजन बिना भू धारक की सहमती के विधिमान्य नही है। [illegible] द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिसमें वादग्रस्त आराजी वादीगण/पूर्वजो के नाम [illegible] दर्ज हो। हाल राजस्व अभिलेख में बंदोबस्त विभाग द्वारा पूर्व इन्द्राज को ही दोहराया है। वादीगण ने [illegible] वाद कथनों को सिद्व करने के लिये कोई साक्ष्य भी पेश नही किये है। पत्रावली पर उपलब्ध [illegible] वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है। तनकी विरूद्व वादीगण बहक प्रतिवादीगण [illegible] की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम मण्डियानी के हाल खसरा नम्बर 1239 रकबा 1.39, 1048 रकबा 0.29, 1045 रकबा 0.04 व 1243 रकबा 2.10 की आराजी पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:56:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

भंवरी बनाम हमीरा वगै0

दावा बाबत :– 88, 188, 92ए राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 96/2011
पेश करने की दिनांक – 20.05.11

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)–द हाजिर सुखदेव चौधरी अभिभाषक मुददई सीताराम रावत अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि :–

ग्राम मण्डियानी के हाल खसरा नम्बर 1239 रकबा 1.39, 1048 रकबा 0.29, 1045 रकबा 0.04 व 1243 रकबा 2.10 की आराजी पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वय वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक–––––– को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज 26 माह 03 सन् **2021** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:56:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद